भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3303
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

देश में नियोजित युवाओं का आंकड़ा

3303. श्री वाइको:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने देश के बेरोज़गार युवाओं के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रोज़गारोन्मुख अर्थव्यवस्था निर्धारित करने वाले कारक कौन-कौन से है;
(ग) सरकार द्वारा देश में रोज़गार का सृजन करने के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) ये योजनाएं बेरोज़गार युवाओं को नौकरी/रोज़गार प्रदान करने में कितनी प्रभावशाली है, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार नई रोज़गार नीति बनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस परिणाम के अनुसार, देश में 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी की अनुमानित दर का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है। पीएलएफएस सर्वेक्षणों की ये रिपोर्टें एमओएसपीआई की वेबसाइट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग एवं घ): रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ प्राप्त करने हेतु 16.49 लाख कर्मचारी पंजीकृत हुए।

सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, इसमें एक डिजिटल पोर्टल (www.ncs.gov.in) भी है जो गतिशील ढंग से रोजगार तलाश एवं मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। एनसीएस पर सभी सेवाएं लागत-मुक्त हैं।

(ड. एवं च): सरकार ने 29 केंद्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, समामेलन एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 अधिसूचित की हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रदान करेगा। यह कामगारों एवं उद्योग की आवश्यकताओं को भी सुसंगत बनाएगा तथा कामगारों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा के दिनांक 24-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3303 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)	
		2017-18 (पीएलएफएस)	**2018-19 (पीएलएफएस)**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7
3	असम	7.9	6.7
4	बिहार	7.0	9.8
5	छत्तीसगढ़	3.3	2.4
6	दिल्ली	9.4	10.4
7	गोवा	13.9	8.7
8	गुजरात	4.8	3.2
9	हरियाणा	8.4	9.3
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1
11	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1
12	झारखंड	7.5	5.2
13	कर्नाटक	4.8	3.6
14	केरल	11.4	9.0
15	मध्य प्रदेश	4.3	3.5
16	महाराष्ट्र	4.8	5.0
17	मणिपुर	11.5	9.4
18	मेघालय	1.6	2.7
19	मिजोरम	10.1	7.0
20	नागालैंड	21.4	17.4
21	ओडिशा	7.1	7.0
22	पंजाब	7.7	7.4
23	राजस्थान	5.0	5.7
24	सिक्किम	3.5	3.1
25	तमिलनाडु	7.5	6.6
26	तेलंगाना	7.6	8.3
27	त्रिपुरा	6.8	10.0
28	उत्तराखंड	7.6	8.9
29	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7
30	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5
32	चंडीगढ़	9.0	7.3
33	दादर और नगर	0.4	1.5
34	दमन और दीव	3.1	0.0
35	लक्षद्वीप	21.3	31.6
36	पुडुचेरी	10.3	8.3
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18 एवं 2018-19, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;